कार्यालय अध्यक्ष LEAD एवं प्राचार्य, मा0 आ0 जी राजकीय महाविद्यालय, डीग (राज0)
Office contact no. 05641-220084, Mail id - majgovtcollegedeeg3@gmail.com

क्रमांक एफ ( ) स्था/एम.ए.जे/2026/ 304　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 11/06/2026

-: विज्ञप्ति :-

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ1 (02) विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/ 21-00638/ पार्ट-1/राजकाज रेफरेंस न0 22734113 दिनांक 09.06.2026 की अनुपालना में सत्र 2026.27 में डीग जिले में स्थित निम्नलिखित महाविद्यालयों में नियमित/राजसेस के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदो पर शिक्षण कार्य की आवश्यकतानुसार "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी (पूर्णतया अस्थाई) को प्रति कालांश 800 रूपये के मानदेय के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किये जाने हेतु दिनांक 20.06.2026 (शनिवार) सायंकाल 05:00 बजे तक "कार्यालय प्राचार्य मा0आ0जी राजकीय महाविद्यालय डीग (राज0) पिन कोड 321203" में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है –

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय
01	मा0आ0जी राजकीय महाविद्यालय डीग	अर्थशास्त्र, ई.ए.एफ.एम., ए.बी.एस.टी., कम्प्यूटर विज्ञान
02	राजकीय कन्या महाविद्यालय डीग	भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, गृह विज्ञान
03	एस.एस.डी.आर.पी. राजकीय महाविद्यालय सीकरी	भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, उर्दू,
04	राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकरी	भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र, उर्दू, गृह विज्ञान
05	राजकीय महाविद्यालय कुम्हेर	भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, लोक प्रशासन, इतिहास
06	राजकीय कृषि महाविद्यालय डीग	कृषि संकाय के समस्त विषय
07	राजकीय महाविद्यालय कामां	भौतिकशास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र,
08	राजकीय कन्या महाविद्यालय कामां	राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, लोक प्रशासन, इतिहास, समाजशास्त्र, चित्रकला
09	राजकीय कृषि महाविद्यालय कामां	कृषि संकाय के समस्त विषय
10	श. जी.रा. राजकीय महाविद्यालय नगर	भौतिकशास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र
11	राजकीय महाविद्यालय खोह	भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र
12	राजकीय कृषि महाविद्यालय सीकरी	कृषि संकाय के समस्त विषय
13	राजकीय महाविद्यालय पहाडी	इतिहास, भौतिकशास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, ई.ए.एफ.एम., ए.बी.एस.टी., व्या. प्रशासन,

नोट :- प्रत्येक महाविद्यालय हेतु पृथक-पृथक आवेदन करें विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/MAJGovtCollegeDeeg से डाउनलोड किया जा सकता है।

(डॉ0 दिलीप सिंह)
अध्यक्ष LEAD एव प्राचार्य
मा0आ0जी राजकीय महाविद्यालय
जिला – डीग (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईटः–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेलः–hrd.cce/gmail.comफोन न. 0141–2706736(O)

क्रमांकःएफ1(02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21–00638/पार्ट–1/दिनांकः–यथा हस्ताक्षर

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(नियमित/राजसेस)
राजस्थान

विषयः– सत्र 2026–27 में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.21 एवं 07.08.23 के क्रम में **"विद्या संबल योजना"**के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत रिक्त पदों पर **आवश्यकतानुसार प्रति कालांश आधरित सीमित समयावधि के लिए आमंत्रित शिक्षक** के रूप में कार्य लेने की Enabling Scheme है।

इस योजनान्तर्गत आगामी सत्र 2026–27 (01 जुलाई, 2026 से) में राजकीय महाविद्यालयों (राजसेस सोसायटी सहित) में रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए, कक्षा विशेष/विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे–

1. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व आवेदन (गेस्ट फैकल्टी से पूरे सत्र हेतु आवेदन एक बार ही आमंत्रित किया जाना है) प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालना करते हुये गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाकर, आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से प्रत्येक सेमेस्टर का अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठयक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु निर्धारित की गई अवधि ही मान्य होगी।

3. वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाना तथा योजना के अन्तर्गत राजस्थान के मूल निवासी को आवेदन किये जाने पर वरियता दिया जाना सुनिश्चित करें।

4. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जॉच किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी हैं तथा पैनल की जाँच एवं अनुमोदन, सम्बंधित जिला स्तरीय LEAD कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid
Digitally signed by Kailash Chandra Yadav
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.06.09 17:13:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22734113
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

5. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''विद्या संबंल योजना'' के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक गैस्ट फैकल्टी को सत्र 2026–27 में प्रति घंटा के आधार पर मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाना हैः–

प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे	अवधि
800/–	14 घंटे	सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने/पाठयक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठयक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु निर्धारित अवधि, इनमें से जो भी पहले हो

(स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान किया जावे।

6. विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगे, इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. नियमित नियुक्ति/स्थानान्तरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
8. अन्तिम सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवा रही गेस्ट फैकल्टी को सत्र 2026–27 में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर गेस्ट फैकल्टी को माननीय न्यायालय द्वारा आगामी/अंतिम आदेश के अध्यधीन मानते हुये वरीयता दिया जाना सुनिश्चित करें।

विज्ञापन जारी करना एवं आवेदन पत्रों की पात्रता की जॉच तथा पैनल की जाँच एवं अनुमोदन, सम्बंधित जिला स्तरीय LEADकॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्नानुसार समय सारणीनुसार किया जावेगाः–

विज्ञापन जारी किये जाने की दिनांक	**15 जून, 2026 तक**
आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अन्तिम दिनांक	**20जून, 2026 तक**
आवेदन पत्रों की जॉच कर पैनल का अनुमोदन किये जाने की दिनांक	**30जून, 2026 तक**
संबंधित महाविद्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने की दिनांक	**आवश्यकतानुसार**

आगामी सत्र जुलाई, 2026 से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी के पैनल बनाने का कार्य उक्त सारणीनुसार पूर्ण कर लेवे तथा जिन कक्षाओं का अध्यापन कार्य शुरू होना है, उनमें **आवश्यकतानुसार** गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार आमंत्रित कर लिया जावे।

संलग्नः–

1 जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप
2 पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
3 पैनल बनाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश
4 गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने का प्रारूप
5 गेस्ट फैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. समस्त जिला स्तरीय LEADमहाविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
02. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Kailash Chandra Yadav
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.06.09 17:13:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22734113
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

क्र.सं.	शैक्षणिक रिकार्ड	स्कोर			
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = **21**	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = **19**	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम = **16**	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम = **10**
2	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = **25**	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = **23**	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग(असंपन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशित) से और 60 प्रतिशत से कम = **20**	
3	एम.फिल	60 प्रतिशत और उससे अधिक = **07**		55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम = **05**	
4	पी.एच.डी.	**25**			
5	**जेआरएफ सहित नेट**	**10**			
	नेट	**08**			
	स्लेट या सेट	**05**			
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	**06**			
7	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)#	**10**			
8	**पुरस्कार**				
	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अन्तरराष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	**03**			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	**02**			

तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोटः–

(अ)	एमफिल पीएचडी	अधिकतम–	25 अंक
(ब)	जे आर एफ/नेट/सेट	अधिकतम–	10 अंक
(स)	अवार्ड की श्रेणी में	अधिकतम–	03 अंक

RajKaj Ref No.: 22734113
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Kailash Chandra Yadav
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.06.09 17:13:14 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

<u>पैनल बनाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश</u>

गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें।सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जानें है।

(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालयों स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जावें।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायें, एक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी होगी तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा तथा योजना के तहत आमंत्रित शिक्षक से निर्धारित शपथ पत्र (संलग्नशपथपत्र)भरवाकर लिया जायेगा।

(F) गेस्ट फैकल्टी के संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

विद्या संबंल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी है:–

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/ पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमो के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधो/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:–

(a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो,

(b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(c) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।

(d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।

(e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियो/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।

उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्यो/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालयशिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

विद्या संबंल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विद्या संबंल का पैनल तैयार किया जाना है।

RajKaj Ref No.:
22734113
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Kailash Chandra Yadav
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.06.09 17:13:14 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र

अभ्यर्थी का अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित महाविद्यालय का नाम :–...
2. आवेदित विषय :–...
3. आवेदक का नाम :– ....
4. पिता का नाम :–...
5. माता का नाम :–...
6. जन्म तिथि :– ....(संलग्नक.................)
7. आयु (01.08.2023 को) :– वर्ष .... माह .... दिन ....
8. वर्ग :– UR/OBC/MBC/EWS/ST/SC/PWD...........................(संलग्नक.............)
9. लिंग (पुरूष/महिला/अन्य) :–...
10. E-MAIL ID (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ....
11. पत्राचार का पता :–...
....
12. मोबाईल नं. 1. .... 2. ....
13. शैक्षणिक योग्यता :–

स्तर	उत्तीर्ण	विषय	बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिशत में अंक/ग्रेड	संलग्नक पृष्ठ संख्या...... से ......तक
दसवीं (10)					
बारहवीं (12)					
स्नातक (UG)					
अधिस्नातक (PG)					
एम.फिल (M.PHIL)					
पीएच.डी (PH.D)					
JRF सहित NET					
NET					
SLET/SET					
अन्य					
जिन अभ्यिर्थियों ने 10+1+3 प्रणाली से परीक्षा उत्तीर्ण की है ये 12 वीं के स्थान पर 11 वीं की सूचना दें।					

नोंट :– अलग–अलग महाविद्यालयों के लिए पृथक–पृथक आवेदन करें।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

14. पीएच.डी सम्बन्धी विवरण :–

- पीएच.डी पंजीकरण दिनांक :– ....(संलग्नक ....)
- पीएच.डी उपाधि पारित दिनांक :– ....(संलग्नक ....)
- पीएच.डी प्रमाण पत्र में " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 के अन्तर्गत प्रदत्त" अंकित है या नही (हां/नही)..
- यदि नही, तो " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009" के अनुसार कुलपति/संकाय अध्यक्ष द्वारा जारी उक्त शर्ते पूरी करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं............ (संलग्नक ....)

15. शोध प्रकाशन :–

क्र.सं.	शोध का शीर्षक	जर्नल/शोध पत्रिका का नाम	पीयर रिव्यूड/यू.जी.सी की सूची में शामिल (हाँ/नहीं)	संलग्नक पृष्ठ संख्या ....से .... तक
01				
02				
03				

16. शिक्षण के अनुभव का विवरण :–

क्र. सं.	शिक्षण अनुभव का स्तर स्नातक/स्नातकोत्तर	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तथा जिला व राज्य	तिथि (कब से कब तक)	अनुभव की कुल अवधि (पूर्ण माह व वर्षो में)	प्रमाण–पत्र की पृष्ठ संख्या ....से ....तक
01				........माह......वर्ष	
02				........माह......वर्ष	
03				........माह......वर्ष	
04				........माह......वर्ष	
05				........माह......वर्ष	
योग					

17. पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव :–

क्र. सं.	संस्थान का नाम जहाँ पोस्ट डॉक्टोरल का कार्य किया	तिथि (कब से कब तक)	संलग्नक पृष्ठ संख्या ....से ....तक
01			

18. पुरस्कार सम्बन्धी विवरण :–

क्र. सं.	पुरस्कार का शीर्षक	प्रदान करने वाला संस्था का नाम व पता	वर्ष	स्तर (राज्य/राष्ट्रीय या उच्चतर)	प्रमाण–पत्र की पृष्ठ संख्या .....से ....तक
01					

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

19. अन्य कोई विवरण :–

....

20. आधार नम्बर ....(संलग्नक पृष्ठ संख्या.............)

शपथ घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं। यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मिथ्या कथन पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं। विज्ञप्ति में वर्णित समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है तथा मैं सभी वर्णित शर्तों की पालना करने का वचन देता/देती हूं।

दिनांक :– ....

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर

स्थान :– ....

पूर्ण नाम ....

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अध्यक्ष LEAD एवं प्राचार्य, मा0 आ0 जी राजकीय महाविद्यालय, डीग (राज0)
Office contact no. 05641-220084, Mail id - majgovtcollegedeeg3@gmail.com

विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र भरने के संबंध में विस्तृत बिन्दुवार निर्देश

01 आवेदित महाविद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।

02 जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है उसका स्पष्ट अंकन करें।

03 आवेदक अपना नाम हिन्दी और अंग्रेजी लिपि में स्पष्ट रूप से लिखें जैसा कि आपके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है।

04 पिता का नाम लिखें।

05 माता का नाम लिखें।

06 अपनी जन्म तिथि लिखें तथा इसके लिये प्रमाण-पत्र का दस्तावेज संलग्न करें।

07 आवेदन करते समय आवेदक स्वंय की आयु की गणना वर्ष, माह एवं दिवस में अंकित करें।

08 आवेदक अपना वर्ग लिखें तथा आरक्षित वर्ग में होने की स्थिति में जाति Non-Creaamy Layer आदि के अद्यतन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें। यदि आप विशिष्ट योग्यजन (पी.डब्ल्यू.डी) है तो इसका उल्लेख करें तथा वैध प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

09 लिंग संबंधी सूचना दें।

10 ई-मेल आईडी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखें। सम्पर्क सूत्रों की अपूर्ण जानकारी दिये जाने पर यदि महाविद्यालय अभ्यर्थी को कोई सूचना देने में असमर्थ रहता है तो इसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

11 आवेदक अपना पूर्ण पत्राचार का पता अंकित करें।

12 आवेदक अपना मोबाइल नम्बर , व्हाट्सऐप मोबाइल नम्बर अंकित करें।

13 अपनी शैक्षणिक योग्यता का पूर्ण विवरण दे। निर्धारित कॉलम में प्रतिशत का उल्लेख दशमलव के बाद दो अंको तक करें। प्रत्येक शैक्षणिक योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र व अंकतालिका अवश्य संलग्न करें।

14 पीएच.डी. संबंधी विवरण यथा पंजीकरण दिनांक, उपाधि पारित दिनांक, यू.जी.सी. विनियम 2009 के अन्तर्गत प्रदत्त होने या न होने तथा उक्त विनियम की शर्तें पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र के संलग्न होने का उल्लेख करें।

15 शोध प्रकाशन यदि कोई है तो उनका उल्लेख करें तथा उनकी एक पूर्ण प्रति जिसमें ISSN संख्या सहित शोध जर्नल का नाम वॉल्यूम संख्या स्पष्ट हो, संलग्न करें। ये जर्नल राज्य सरकार के निर्देशानुसार यूजीसी सूची के peer Reviewed होने चाहिए। जिन शोध प्रकाशनो की वैद्यता या प्रकाशित होने के संबंध में विद्या सम्बल समिति को संशय होगा उनमें अंको का लाभ नही दिया जायेगा। अतः सावधानी पूर्वक समस्त जानकारी देवे तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें । जिन प्रकाशनों पर अंको का लाभ देय नही है उनका निरर्थक उल्लेख तालिका में न करे।

16 शिक्षण अनुभव संबंधी विवरण दें तथा शिक्षण अनुभव को स्थापित या सिद्ध करने संबंधित स्वीकार्य व ठोस प्रमाण पत्रों की प्रति उपलब्ध करवाऐं। तालिका में अनुभव के पूर्ण किये गये महिनों व वर्षो का उल्लेख करें।

17 पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव संबंधी विवरण दें। पोस्ट डॉक्टोरल कार्य करने का संस्थापन एवं उसकी अवधि सम्बन्धित तालिका में अंकित करें।

18 यदि अभ्यर्थी को राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय या उच्चतर पुरस्कार प्राप्त हो तो इसका उल्लेख करें एवं प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये निर्धारित कॉलम में 'राज्य स्तरीय' अंकित करें।

Scanned with OKEN Scanner

19 शैक्षणिक योग्यता/शिक्षण अनुभव/शोध इत्यादि से संबंधित अन्य विवरण की जानकारी दे तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें।

20 अपने आधार कार्ड की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न करें।

21 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर कर पूर्ण नाम तिथि व स्थान अंकित करें ।

अन्य निर्देश :–

01 आवेदन पत्र निशुल्क है तथा इसे जमा करवाने का कोई शुल्क नही है।

02 आवेदन करने से पूर्व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर तथा वित्त विभाग के योजना संबंधित विभिन्न आदेशों /पत्रों /परिपत्रों का अध्ययन कर शर्तों को भली भांति समझ ले क्योकि इनमें दी गई सभी शर्ते लागू होगी।

03 आवेदन मा0आ0जी राजकीय महाविद्यालय डीग के वेब पेज **https://hte.rajasthan.gov.in/MAJGovtCollegeDeeg** पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप मे ही आवेदन करें। अभ्यर्थी के स्वंय के वनाये अथवा अन्य महाविद्यालय के प्रारूप पर आवेदन स्वीकार नही किये जायेगे।

04 इस महाविद्यालय को यदि किसी अन्य महाविद्यालय के आवेदन प्रेषित कर दिए जाते है अथवा ऐसे विषय के आवेदन प्रस्तुत कर लिये जाते है जो विषय महाविद्यालय में विद्या संबल योजना अन्तर्गत उपलब्ध नही है तो ऐसे आवेदनों पर विचार करना तथा उन्हें संबंधित महाविद्यालय में भेजने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नही होगा।

05 आवेदन पत्रक स्पष्ट व सुपाठ्य अक्षरों/शब्दों में भरें।

06 जहां आवश्यक हो अतिरिक्त पृष्ठ लगा सकते है।

07 आवेदन पत्रक के बिन्दुओं के क्रम में ही समस्त प्रमाण पत्रों की प्रतियों को व्यवस्थित करें तथा इनके पृष्ठों को क्रमिक रूप से 1.2.3...... अंकित करते हुए आवेदन के संबंधित बिन्दु में प्रासंगिक प्रमाण पत्र/अंकतालिका को पृष्ठ संख्या का उल्लेख करें ।

08 समस्त प्रमाण पत्रों/अंक तालिकाओं तथा दस्तावेजों को स्व सत्यापित /प्रमाणित करने के संबंध में हस्ताक्षर करें।

09 जिन दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक दिये जायेगें ऐसे दस्तावेजों का महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मूल दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन न होने की स्थिति में अभ्यर्थी की मेरिट में बदलाव किया जाना, आवेदन निरस्त किये जाने अथवा अन्य यथेष्ठ कार्यवाही किया जाना सम्भव है। अतः उन्ही प्रमाण पत्रों को संलग्न करे जिनका मूल दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हो ।

10 अपूर्ण भरे गये अथवा संलग्नों के विना प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

11 आवेदन **''प्राचार्य मा0आ0जी राजकीय महाविद्यालय डीग राजस्थान , पिनकोड 321203''** पर ही प्रेषित करें । किसी अन्य नाम जैसे व्यक्ति, संकाय सदस्य आदि के नाम से प्रेषित आवेदन स्वीकार्य नही होगे। आवेदन प्रेषित करते समय लिफाफे पर ''विद्या संबल योजना'' के अन्तर्गत .... विषय हेतु आवेदन भी लिखे ।

12 पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र मय समस्त संलग्नों के निर्धारित तिथि व समय **(दिनांक 20.06.2026 सॉय 05 बजे तक)** से पूर्व महाविद्यालय में व्यक्तिशः जमा करवाये अथवा रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट डाक से प्रेषित करें। ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से भेजे गये आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेगे। निर्धारित तिथि व समय के वाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

(डॉ0 दिलीप सिंह)
अध्यक्ष LEAD एव प्राचार्य
मा0आ0जी राजकीय महाविद्यालय
जिला – डीग (राज0)

Scanned with OKEN Scanner